हमारें अधिकार व कानून 2

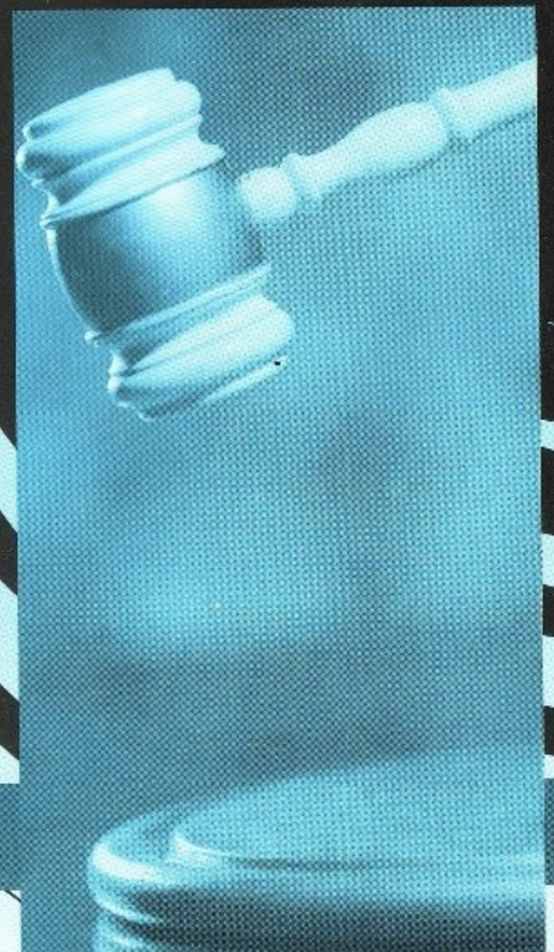

संगिनी

हमारें अधिकार व कानून 2

सम्पादन
सौमित्र रॉय, प्रार्थना मिश्रा, अनुपा

कम्पोजिंग
निरंजन वर्मा, पिंकी वर्मा

प्रकाशक
संगिनी-जेण्डर रिर्सोस सेन्टर

वित्तीय सहयोग
एक्शन एड

मुद्रक
मेश प्रिंट्स, भोपाल

इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री का उपयोग कोई भी
व्यक्ति या संस्था कर सकती है इसके लिए अनुमति की
आवश्यकता नहीं है। यदि स्रोत का उल्लेख कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा।

सीमित वितरण हेतु

हमारे अधिकार व कानून 2

अपनी बात...

महिलाओं के अधिकार व कानून एक ऐसा विषय है जिसके बारें में बहुत ही कम बात की जाती है। साधारण परिस्थिति में महिला अपने साथ होने वाली हर जायज / नाजायज व्यवहार के बारें में कोई कानूनी प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाती है। यदा कदा यदि वह कुछ करना भी चाहती है तो उसे सामाजिक दायरों में ही अपनी बात कहने तथा मामलें को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती है। आम तौर पर घर के अन्दर महिला के साथ किया जाने वाला बर्ताव भी कानून के दायरे में आता है, इस बारें में महिलाओं के बीच बहुत कम सोच है।

सामान्य परिस्थिति में महसूस किया गया है कि गॉव में रहने वाली हो या शहर की, पढ़ी लिखी हो या अनपढ, नौकरी पेशा हो या गृहणी अधिकांश महिलाओं को अपने हित में बने कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं होती है। बहुत बार कोर्ट कचहरी के चक्कर से घबरा कर अपने खिलाफ होने वाली हिंसा , बुरे बर्ताव, अधिकारों का हनन आदि को सहते हुए भी महिलाएं चुप रहती हैं । संगिनी का मानना है कि इस बारें में महिलाओं को जागरुक किया जाए साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के साथ उन कानूनों की जानकारी भी सामान्य रुप में दी जाए, जिससे महिलांए अपने अधिकारों को प्राप्त करें और सम्मानजनक ढंग से जी सके।

महिला अधिकारों को प्राप्त करने तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने की दिशा में महिलाओं के लिए बने कानूनों की महत्ती भूमिका है। इस बारें में जानकारी का प्रसार इसकी उपयोगिता को बढ़ाएगा इस विश्वास के साथ संगिनी ने " हमारें - अधिकार और कानून " पुस्तिका का प्रकाशन करने की सोची है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य महिलाओं को उन संवैधानिक व कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देना है जहॉ राज्य उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस पुस्तिका को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें महिलाओं से जुड़े कानूनी पहलुओं और उनके उपयोग से जुडें प्रक्रियाओं के बारें में जानकारी दी गई है। साथ ही हमने कोशिश की है कि महिलाओं के अधिकारों को भी कानूनों के साथ रखा जाय ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त करने में कानूनों की मदद ले सके।

पुस्तिका के इस दूसरे भाग में हम विवाह , तलाक, महिलाओं के सम्पत्ती के अधिकार, दहेज सबंधी कानून, के बारें में जानकारी देने का प्रयास कर रहें हैं। साथ ही महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं तथा राज्य की तरफ से महिलाओं के विशेष अधिकारों के बारें में भी बातचीत की गई है। इस अंक में हमने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के बारें में हुए अंर्तराष्ट्रीय संधि (सीडॉ) के बारें में संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की है ।

इस पुस्तिका को तैयार करने में अनेक संस्थाओं के प्रकाशनों से सामग्री लिया गया है। हम उन सभी के आभारी है। विशेष रुप से हम एक्शन एड भोपाल के आभारी है जिसने इस पुस्तिका को तैयार करने में मार्गदर्शन व वित्तीय सहयोग दिया।

संगिनी के सहयोगी संस्थाओं, महिला अधिकार व कानून पर कार्यरत संस्थाएं व वो सभी लोग जो महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और अपने स्तर पर इस पुस्तिका को तैयार करने में हमारी मदद की इन सभी का आभार।

आशा है हमारा यह प्रयास महिलाओ को उनके अधिकार दिलाने तथा उनके लिए बने कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने की परिस्थिति बनाएगा। हमारें इस प्रयास के बारें में आपके सुझावों व टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा।

संगिनी समूह

विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	हिन्दू विवाह अधिनियम 1955	1
2.	हिन्दू विवाह की मान्य परिस्थितियां	1
3.	विवाह पंजीकरण	2
4.	पुनर्विवाह : एक दंडनीय अपराध	2
5.	बाल विवाह : कानूनी अपराध	3
6.	बाल विवाह की शिकायत	4
7.	दांपत्य अधिकारों की बहाली	4
8.	तलाक	4
9.	आपसी सहमति से तलाक	5
10.	भरण पोषण का अधिकार (अधिनियम 1953)	6
11.	बच्चों की अभिरक्षा	6
12.	संपत्ति का अधिकार	6
13.	हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1953	7
14.	सम्पत्ति की परिभाषा	8
15.	पैतृक संपत्ति का बंटवारा	8
16.	सम्पत्ति का अधिकार (मुस्लिम महिलाओं के लिए)	10
17.	मेहर की परिभाषा	11
18.	दहेज विरोधी कानून	12
19.	स्त्री धन क्या है ?	12
20.	दहेज लेने या देने की सजा	13
21.	दहेज मृत्य (धारा 113 बी) व (धारा 304 बी)	14
22.	कैसे लें कानून की मदद	15
23.	कानूनी सहायता का अधिकार 1987	16
24.	महिलाओं के अश्लील चित्रण पर प्रतिबंध अधिनियम 1983	16
25.	महिलाओं के अधिकार	17
26.	महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ सम्मेलन (सीडॉ) के प्रस्ताव	17
27.	क्या है सीडॉ	18

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

भारत में सबसे ज्यादा संख्या हिन्दू संप्रदाय के लोगों की है, पर वास्तव में हिन्दू किसे कहें, इस बात को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में इस बात का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है।

हिन्दू कौन हैं -

- किसी भी जाति व संप्रदाय के हिन्दू।
- बौद्ध, जैन, सिक्ख और वे लोग, जिन्होंने अपना मूल धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म को अपनाया है। (अनुसूचित जाति– जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होता)

हिन्दू विवाह की मान्य परिस्थितियां

- हिन्दू समाज में प्रचलित रस्मों– रिवाज के मुताबिक ही विवाह संपन्न किया जाना चाहिए।
- आमतौर से हिन्दू विवाह होम, यज्ञ, हवन आदि के साथ सप्तपदी पद्धति से होता है।

हिन्दू विवाह के लिए जरूरी शर्तें

- वर और वधू दोनों उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हिन्दू हों।
- वर–वधू पहले से शादीशुदा न हों। विवाह के वर और वधू दोनों के ही कोई जीवित पत्नी या पति मौजूद न हों।
- वधू और वर एक--दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार न हों।
- वर–वधू दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ और वैवाहिक जिम्मेदारियों को समझने, निभाने की स्थिति में हों।
- वर की उम्र 21 साल और कन्या की 18 साल से कम न हों।

इन कारणों से विवाह रद्द हो सकता है

- पति की नामर्दगी की वजह से वैवाहिक संबंध अधूरे रहना।
- शादी धोखे या दबाव में हुई हों।

विवाह का पंजीकरण

- इसके लिए शादी से पहले लड़का और लड़की को विवाह पंजीयक के समक्ष एक आवेदन देना होता है।
- आवेदन पत्र में लिखे तथ्यों की पड़ताल कर विवाह पंजीयक शादी को पंजीकृत करता है।

पंजीकरण की शर्तें

- लड़का और लड़की दोनों ने ही हिन्दू विवाह पद्धतियों के मुताबिक शादी की हो और वे शादी के बाद से ही पति–पत्नि के रूप में रह रहे हों।
- दोनों के ही शादी से पहले कोई पत्नी या पति जीवित न हों।
- लड़का 21 साल का और लड़की कम से कम 18 साल की हो।
- लड़का और लड़की दोनों ही संबंधित विवाह न्यायालय के न्यायिक परिक्षेत्र में आते हों।

पुर्नर्विवाह : एक दंडनीय अपराध

एक जीवन साथी के होते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना कानून की धारा 494 के तहत एक दंडनीय अपराध है।

कानून कहता है कि –

- पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। ऐसा होने पर पहली पत्नी अदालत में तलाक के लिए आवेदन कर सकती है।
- दूसरी शादी करने पर पति को सात साल की जेल हो सकती है।
- पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा सकती है।
- यदि पहली पत्नी ने शादी के लिए सहमति दी हो तो भी दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी।
- दूसरी पत्नी को कानूनी रूप से पत्नी का कोई हक नहीं मिलेगा और न ही वह पति से भरण–पोषण का खर्च या फिर पति की संपत्ति में कोई हिस्सा मांग सकती।
- अगर पहली पत्नी की मौजूदगी को दूसरी पत्नी से छिपाया गया हो तो दूसरी पत्नी अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर सकती है और पति से मुआवजा भी मांग सकती है।
- इस तरह की शादी में दूसरी पत्नी के हक को कानूनी दर्जा प्राप्त होगा और उसकी संतान को भी पिता की संपत्ति में से सारे हक मिलेंगे।

बाल विवाहः कानूनी अपराध

बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929

इस कानून के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से छोटी लड़की की शादी कानूनन जुर्म है।

हिन्दू विवाह अधिनियम यह कहता है कि -

21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से छोटी लड़की यदि शादी करते हैं तो दोनों को –

→ 15 दिन की जेल।

→ 100 रुपए का जुर्माना या

→ दोनों सजा एक साथ हो सकती है।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और 1886 में भी यही सजा है। इसके अलावा धारा 4 के अनुसार

➔ 3 माह की जेल और जुर्माना और बाल विवाह करवाने वाले मां–बाप, रिश्तेदार या पंडित को भी इतनी ही सजा होगी।

बाल विवाह की शिकायत

इसकी शिकायत पुलिस थाने में कोई भी कर सकता है। पुलिस मामले की छानबीन कर आरोपियों पर मुकदमा चलाती है और दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 3 माह की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

दांपत्य अधिकारों की बहाली

यदि पति अपनी पत्नी को बगैर किसी जायज कारण के छोड़ देता है और उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित कर देता है तो अदालत उसे अपनी पत्नी के साथ रहने और उसे उसका हक दिलाने का आदेश दे सकती है।

तलाक

यह हर महिला का कानूनी अधिकार है। कोई भी महिला इन आधारों पर तलाक ले सकती है –

- अगर पति का किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध हो जाए।
- पति अपनी पत्नी को छोड़ दे।
- यदि पति ने दो साल से ज्यादा समय से पत्नी को छोड़ रखा हो।
- पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता से पेश आता हो। मारपीट करता हो।

- पति ने अपना धर्म बदला लिया हो।
- पति को कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारी हो।
- पति को असाध्य पागलपन की बीमारी हो।
- पति ने संन्यास ले लिया हो।
- पति करीब सात साल से लापता हो।
- पति ने बलात्कार या ऐसा कोई कुकर्म किया हो।

आपसी सहमति से तलाक

- ❑ इसमें तलाक का कारण बताने की जरूरत नहीं हैं।
- ❑ पति और पत्नी दोनों करीब एक साल से अलग रह रहे हों।
- ❑ दोनों एक–दूसरे के साथ रहने को बिल्कुल तैयार न हों।
- ❑ तलाक से पहले अदालत दोनों को एक नोटिस के जरिए सुलह के लिए 6 माह का समय देता है। इसके बाद भी दंपति तलाक की मांग करें तो उन्हें संबंध विच्छेद की अनुमति दे दी जाती है।

तलाक	न्यायिक संबंध विच्छेद
❑ शादी टूट जाती है।	शादी नहीं टूटती।
❑ पति–पत्नि हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं।	दोनों चाहें तो फिर से साथ रहे सकते हैं।
❑ पति–पत्नि दोनों दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र होते हैं।	शादी (दूसरी) नहीं कर सकते।

भरण-पोषण का अधिकार (अधिनियम 1953)

इसके तहत अदालत से कानूनी तलाक होने पर पत्नी अपने पूर्व पति से गुजारे को खर्च ले सकती है।

इसके अलावा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 व 25 के तहत महिला –

1. अपने तलाक के मामले को जल्दी निपटाने के लिए कह सकती है।
2. महिला के लिए मुआवजा राशि की उच्चतम सीमा नहीं होती।
3. महिला और उसकी संतान दोनों को अलग से मुआवजा मिल सकता है।
4. इसके लिए महिला को दो अलग आवेदन अदालत में पेश करने होंगे।
5. महिला यदि चाहे तो तलाक की कार्रवाई के दौरान ही गुजारे के लिए राशि मांग सकती है।

बच्चों की अभिरक्षा

1. तलाक के बाद यदि संतान की उम्र पांच साल से कम है तो कानूनन बच्चे को पालने व देखभाल का हक मां को ही मिलता है।
2. पांच साल के बाद बच्चा किसके साथ रहेगा, इसका निर्धारण अदालत उस बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर करती है।
3. अगर बच्चा अपनी मां के पास रहन चाहता हो तो अदालत मां को ही पालन–पोषण का हक देगी।
4. ऐसी स्थिति में पिता को ही बच्चे के भरण–पोषण का खर्च वहन करना पड़ेगा।

संपत्ति का अधिकार

पांच भाई बहनों में सबसे छोटी शीला की शादी यूं तो काफी संपन्न परिवार में हुई थी, लेकिन पति के आए दिन शराब पीने और घर पर मारपीट की आदत से शीला काफी परेशान रहती थी।

तीन साल बाद एक दिन शीला का पति एक दुर्घटना में चल बसा। ससुराल वालों ने शीला को डायन कहकर घर से निकाल दिया तो मायके में भी उसे जगह नहीं मिली। बेचारी शीला के सामने दो छोटे बच्चों के साथ अपने गुजारे की भी समस्या थी।

सवाल : क्या शीला के साथ कानूनन इंसाफ हुआ है?

इस सवाल के जवाब में कुछ प्रमुख विचारणीय बिन्दु उभरते हैं –

- पति की मृत्यु के बाद शीला को उसकी संपत्ति का कानूनी वारिस माना जाएगा और इस नाते उसे ससुराल से निकाला जाना या पति की संपत्ति से बेदखल करना गैर कानूनी है।
- विवाहिता पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में एक हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार दिया गया है और इस दृष्टि से भी शीला को बेदखल नहीं किया जा सकता।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956

हिन्दू विधि में दो तरह के अधिकार दिए गए है – जन्म से मिले अधिकार व उत्तराधिकार

- पिता की संपत्ति में पुत्र को नैसर्गिक रूप से जन्म अधिकार प्राप्त होता है। बेटी को यह हक हासिल नहीं है।
- लेकिन उत्तराधिकार के मामले में पिता या पति की मृत्यु के बाद ही स्त्री को उत्तराधिकार मिला है।
- इस तरह उत्तराधिकार के लिए स्त्री और पुरूष में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता ।
- पिता की मृत्यु के बाद बेटी का उसकी मां और भाइयों के साथ ही संपत्ति का अधिकार मिल जाता है।
- ठीक उसी प्रकार पति के देहांत के बाद उसकी विधवा पत्नी को बच्चों के साथ पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम - धारा 14

- इसके तहत स्त्री की कुछ संपत्ति ऐसी होती है, जिस पर केवल उसी का व्यक्तिगत हक होता है। इसे स्त्रीधन कहते हैं।
- ऐसी चल या अचल संपत्ति, जो एक हिन्दू महिला को विरासत या बंटवारे के फलस्वरूप या भरण–पोषण के खर्च, शादी से पहले या बाद में किसी व्यक्ति द्वारा भेंट में दी गई हो, अथवा महिला की स्वयं की मेहनत व कमाई से खरीदी गई हो, स्त्रीधन कहलाती है।

- प्रत्येक महिला को अपने नाम पर संपत्ति खरीदने का अधिकार है।
- संपत्ति का वह जैसे चाहे, अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है।
- अपने पिता या पति से उत्तराधिकार में मिली संपत्ति का अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए प्रत्येक महिला को आजादी है।

संपत्ति की परिभाषा

कानून की नजर में संपत्ति निम्न में से किसी को भी माना जा सकता है –

- जमीन, प्लाट, कृषि भूमि या किसी भी तरह का भूखंड।
- मकान
- जेवरात
- महिला की अपनी कमाई से प्राप्त की गई संपत्ति या आय।
- नकद राशि, जो महिला ने खुद अर्जित की हो या फिर किसी के द्वारा भेंट स्वरूप दी गई हो।

संपत्ति के प्रकार

- पैतृक संपत्ति।
- स्वयं अपनी कमाई से खरीदी गई संपत्ति।
- अपनी कमाई से प्राप्त किया गया धन।

पैतृक संपत्ति का बंटवारा

- पिता या पूर्वजों की संपत्ति पर बेटे का ही जन्मजात अधिकार होता है और इसलिए सिर्फ वही संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकता है। स्त्री को ऐसे किसी भी मांग का अधिकार नहीं है।
- हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम 1956 के तहत पति की मौत के बाद विधवा स्त्री को अपने

माता–पिता की संपत्ति से खर्च मांगने का पूरा हक है, लेकिन वह संपत्ति के उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकतीं।

स्वयं की कमाई से खरीदी संपत्ति

- ऐसी संपत्ति पर महिला का पूरा हक है।
- इस तरह की संपत्ति की मालिक होने के नाते स्त्री उसका वसीयतनामा भी तैयार कर सकती है।
- यदि ऐसी संपत्ति की मालिक महिला की मृत्यु हो जाए और उसका वसीयतनामा तैयार न हो तो कानूनी वारिसों को संपत्ति का बराबर हक मिलेगा।

संपत्ति के प्रथम उत्तराधिकारी

किसी व्यक्ति की जायदाद के उत्तराधिकारी निम्न व्यक्ति हो सकते हैं –

- पुत्र
- पुत्रियां
- उसकी पत्नी
- उसकी मां
- उसके पौत्र – पौत्रियां
- उसकी बहुएं
- उसके बड़े बेटे की संतान

यदि उपरोक्त में से कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो संपत्ति उसके संबंधियों को मिल सकती है।

एक महिला की संपत्ति के प्रथम उत्तराधिकारी

- उसका बेटा

- उसकी बेटी
- उसका पति
- उत्तराधिकारियों की संतान

इनमें से किसी के भी जीवित न होने पर संपत्ति महिला के पति के संबंधियों को प्राप्त हो सकती है।

संपत्ति का अधिकार (मुस्लिम महिलाओं के लिए)

इसके मुताबिक किसी व्यक्ति की जायदाद में –

- उसके सभी निकटस्थ संबंधियों का भी बराबर का हिस्सा होता है।
- उत्तराधिकारी के रूप में पुरूष को ज्यादा तवज्जों दी जाती है।

एक महिला को निम्न परिस्थितियों में संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जा सकता है –

- बेटी के रूप में
- विधवा के रूप में
- दादी या नानी के रूप में
- बड़ी बेटी के बतौर
- एक मां के रूप में

बेटी के रूप में संपत्ति का अधिकार,

यह तभी मिलता है, जब –

- महिला अपने पति की संपत्ति का वारिस हो।
- अगर महिला का कोई भाई नहीं है तो उसे पिता की जायदाद का आधा हिस्सा प्राप्त होगा।
- भाई को अपनी बहन से दुगना हिस्सा मिलेगा।

एक विधवा के रूप में

- महिला को उसके पति की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा।
- अगर विधवा स्त्री निः संतान हो तो उसे पति की जायदाद का एक चौथाई हिस्सा ही मिल सकेगा।
- अगर विधवा स्त्री के बच्चे हों तो उसे संपत्ति का 1/8वां हिस्सा प्राप्त होगा।

मां के रूप में संपत्ति का अधिकार

- बेटे की संपत्ति पर अधिकार होगा।
- अगर बेटे की संतान हो तो मां को जायदाद का 1/6 वां हिस्सा मिलेगा।

दादी या नानी के रूप में

- नानी के रूप में महिला को जायदाद का छठवां हिस्सा तभी मिलेगा, जब बड़े बेटे की मां या नाना जीवित न हों।
- दीदी के रूप में संपत्ति का हकदार किसी महिला को तब माना जाएगा, जब बड़े बेटे के पिता या दादा जीवित न हों।

मेहर की परिभाषा

मुस्लिम विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है मेहर। यह वह रकम होती है, जो एक पति अपनी पत्नी को निकाह के समय देता है।

- निकाह से पहले मेहर की रकम तय हो जाती है।
- मुअज्जल मेहरः यह वह रकम होती है जो निकाह के दौरान या फिर जब भी पत्नी चाहे, पति के द्वारा दी जाती है।
- मुवज्जल मेहर : यह वह रकम होती है, जो महिला को तलाक के बाद या शौहर के मरने के बाद प्राप्त होती है।

- मेहर में दी जाने वाली रकम की अधिकतम सीमा तय नहीं है।
- मेहर हर मुस्लिम विवाहिता महिला की निजी संपत्ति होती है।
- अगर पति अपनी पत्नी को मेहर देने से इंकार करता है तो वह अदालत में दावा कर सकती है।
- यदि निकाह के बाद भी पत्नी को मेहर की रकम अदा नहीं की जाती है। तो उसके संबंधी भी अदालत में दावा कर सकते हैं।
- यदि मेहर दिए बगैर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी उसकी जायदाद की हकदार भी होगी।
- इसके बाद भी महिला को मेहर की रकम से वंचित रखा जाता है तो वह अपने पति की जायदाद में से अतिरिक्त हिस्से की मांग कर सकती है।

वसीयत का अधिकार

- एक मुस्लिम महिला अपनी संपित्त के एक तिहाई हिस्से से ज्यादा की वसीयत नहीं बना सकी
- अगर किसी मुस्लिम महिला का पति उसकी संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी हो तो महिला अपनी जायदाद के सिर्फ दो तिहाई हिस्से की वसीयत ही बना सकती है
- महिला अपनी वसीयत के एक तिहाई हिस्से से ज्यादा की वसीयत तभी बना सकती है, जब उस संपित्त के सभी वारिस उस पर सहमत हों।

दहेज विरोधी कानून

कानून के मुताबिक दहेज की परिभाषा

दहेज का मतलब है ऐसी कोई संपत्ति या कीमती चीज जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई हो, या जिसे देने के बारे में सहमति प्रदान की गई हो। यह सहमति –

- विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, अथवा
- विवाह में लड़का या लड़की के मां–बाप अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या तो शादी के समय, या फिर उससे पहले अथवा विवाह के बाद दी गई हो।

स्त्री धन क्या है ?

- किसी लड़की की शादी के दौरान, उससे पहले या शादी के बाद दी गई संपत्ति या उपहार, उस लड़की की अपनी निजी संपत्ति कहलाएगी। इसे स्त्रीधन भी कहा जा सकता है।
- यह स्त्रीधन परिवाजनों, लड़की के मित्रों या ससुराल पक्ष के उपहारों पर भी लागू होता है।
- स्त्रीधन पर महिला को पूर्ण अधिकार माना जाएगा और वह उसे जब जैसा चाहे इस्तेमाल/बेच सकती है।
- स्त्रीधन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा।
- इस स्त्रीधन को जो भी अपने कब्जे में रखेगा उसे एक निश्चित समय सीमा में वह संपत्ति उसे वास्तविक हकदार को लौटानी होगी।
- अगर स्त्रीधन पर कब्जा करने वाला महिला की इच्छा के विरूद्ध उस संपत्ति को बेचता है तो उसे जेल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

(इसलिए ध्यान रखें कि विवाह के मौके पर दिए गए उपहार दहेज की श्रेणी में नहीं आते। इन पर लड़की का पूरा हक होता है।)

दहेज लेने या देने की सजा

दहेज उन्मूलन कानून* 1987 *के तहत-

- दहेज की मांग करना एक अपराध है।
- दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध हैं।

■ अगर कोई मध्यस्थ शादी के रिश्ते तय करने के साथ दहेज के बारे में भी सहमति (दोनों पक्षों में) करवाने की कोशिश करता है तो उसे भी दहेज के प्रचार का आरोपी मानकर सजा दी जाएगी।

सजा

न्यूनतम छह माह से लेकर पांच साल तक की जेल और कम से कम 15 हजार रुपए का जुर्माना।

दहेज उत्पीड़न (धारा 498 ए)

यदि किसी विवाहिता स्त्री के साथ उसका पति या ससुराल पक्ष के रिश्तेदार दहेज के बतौर धन–संपत्ति या कोई कीमती वस्तु की मांग पूरी करने का दबाव डालें और मांग पूरी न होने पर –

■ उसे भूखा रखें।

■ उसके साथ जबरदस्ती विकृत यौन व्यवहार और मारपीट करें।

■ महिला को उसके बच्चों से मिलने न दें।

■ उसके साथ मारपीट करें।

■ मानसिक आघात पहुंचाएं।

■ महिला को घर में कैद कर लें या फिर –

■ ऐसा व्यवहार करें, जिसकी वजह से महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े या फिर उसे शारीरिक–मानसिक रूप से गंभीर चोट पहुंचे।

किसी विवाहिता स्त्री के साथ दहेज के नाम पर ऐसी क्रूरता बरते जाने पर पति या ससुराल पक्ष के खिलाफ धारा 498 ए के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इसके एवज में दोषी व्यक्तियों को तीन साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता हैं।

दहेज मृत्यु (धारा 113 बी) व (धारा 304 बी)

अक्सर देखा जाता है कि दहेज को लेकर लगातार प्रतारणा को बरदाश्त न कर पाने की स्थिति में या तो विवहित

स्त्री स्वयं आत्महत्या कर लेती है अथवा घुट–घुटकर दम तोड़ देती है।

कानून क्या कहता है -

(धारा 113 बी)

यदि किसी विवाहित महिला की मौत से यह साबित होता है कि दहेज प्रतारणा की शिकार होकर उसने आत्महत्या की है या उसे अपनी जान गंवानी पड़ी तो अदालत यही मानेगी कि महिला की मौत दहेज के कारण ही हुई है।

(धारा 304 बी)

इसके तहत –

- अगर किसी विवाहित महिला की मृत्यु शादी के सात साल के भीतर जलने या शारीरिक चोट से हुई है और यह साबित हो जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पति ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा और इसके लिए पति या ससुराल पक्ष के दोषी व्यक्तियों को ही जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी।
- अगर विवाहित स्त्री की मौत के पीछे एक से ज्यादा लोग जिम्मेदार हों तो दंड संहिता की धारा 34 भी साथ में जोड़ दी जाती है।

कैसे लें कानून की मदद

- यदि कोई विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाती है तो उसके मरने के हालात के सबूत सुरक्षित रखें।
- पुलिस के पास फौरन शिकायत दर्ज कराएं। साथ में दहेज की मांग (ससुराल पक्ष द्वारा) व प्रताड़ना की बात को साबित करते हुए एक हलफनामा भी अवश्य दायर करें।
- पीड़ित महिला के परिवारजन उसका मृत्युपूर्व बयान भी जरूर लें। यह बयान एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तभी लिया जा सकता है, जब डाक्टर इसकी अनुमति दें।
- मृतक विवाहिता की लाश का पोस्टमार्टम जरूर करवाया जाए।
- पीड़ित विवाहिता के परिवारजनों को हर हाल में उसके पास बयान बदलने का दबाव न डाल सकें।

कानूनी सहायता का अधिकार 1987

मध्यप्रदेश की महिला नीति के तहत अब कोई भी महिला अपने लिए मुफ्त कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। इसके लिए आयु, जाति, आय का कोई बंधन नहीं है।

यह हर महिला का बुनियादी अधिकार है कि वह किसी भी मामले में अपने लिए वकील के कानूनी परामर्श की मांग कर सकती है।

- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सलाह प्रकोष्ठ खोले गए हैं।
- इन प्रकोष्ठों के माध्यम से महिला वकील की सुविधा मुफ्त ले सकती है।

महिलाओं के अश्लील चित्रण पर प्रतिबंध अधिनियम 1986

आज के बाजारीकरण के दौर में विभिन्न कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्त्री के शारीरिक सौदंर्भ को उत्तेजक तरीके से पेश कर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की भीड़ जुटाना चाहती हैं। इस कोशिश में अक्सर ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसमें स्त्री को उपभोग की वस्तु बनाकर अश्लील तरीके से पेश किया जाता है। समाज पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ऐसे किसी भी विज्ञापन, प्रकशन, लेखन, तस्वीर आदि के प्रचार–प्रसार को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है।

इसके तहत स्त्री के शरीर को किसी भी तरह से अशिष्ट रूप में दिखाकर महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रयास को रोका गया है।

- किसी भी उत्पाद के लेवल, सील पर किसी महिला का अश्लील चित्र या लेखन सामग्री, चिन्ह, कार्टून, आदि पर स्त्री का गलत चित्रण नहीं किया जा सकता।
- कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा या उसके छपने में अपना सहयोग नहीं देगा, जिसमें महिलाओं का गलत तरीके से चित्रण किया गया हो।
- महिलाओं का गलत चित्रण करने वाली पुस्तक पुस्तिकाओं, फिल्म, पेपर या चित्र को छापने या बेचने पर प्रतिबंध है।

महिलाओं के अधिकार

महिलाओं का अश्लील चित्रण करने वाले किसी भी विज्ञापन, प्रकाशन सामग्री के निर्माणकर्ता के खिलाफ कोई भी महिला पुलिस थाने में, या फिर सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से शिकायत कर सकती है। यह शिकायत ऐसे अशिष्ट विज्ञापनों को रोकने के लिए तैनात सरकारी अधिकारी को भेज दी जाती है।

- शिकायत के बाद संबंधित अशिष्ट विज्ञापन या प्रकाशन सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है।

सजा

कानून के तहत महिलाओं के अश्लील चित्रण करने वाले किसी विज्ञापन के प्रकाशन अथवा ऐसी किसी लेखन या प्रकाशन सामग्री के प्रचार–प्रसार या बिक्री पर आरोपी व्यक्ति को दो साल की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सजा पूरी करने के बाद यदि आरोपी दोबारा ऐसा ही अपराध करता है तो सजा को बढ़ाकर पांच साल तक किया जा सकता है। इसके साथ 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी वसूल जाएगा।

महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ सम्मेलन (सीडॉ) के प्रस्ताव

सविता के मां–बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बुआ ने उसे पाल–पोसकर बड़ा किया। सविता पढ़ना चाहती थी, मगर घर पर काम का बोझ इतना होता कि वह पुस्तकों की शक्ल तक नहीं देख पाई। सभी कहते, लड़की है, पराए घर जाना है। वहां घर का काम करेगी, फिर पढ़ाई का क्या काम ?

शादी के 10 साल बाद सविता जब अपने बच्चों को पढ़ते देखती है तो उसे अनपढ़ होने का बेहद दुख होता है। वह कहती हैं, काश मेरे भी मां–बाप होते तो मुझे जरूर पढ़ाते। सविता की यह सोच अपनी जगह सही हो सकती है, मगर उस जैसी न जाने कितनी ही औरतें होंगी, जो सिर्फ लड़की होने के कारण पढ़ नही पाई।

- बेटे और बेटी के बीच लिंग आधारित भेदभाव का सबसे बुरा असर बालिका शिक्षा पर पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं खान–पान, स्वास्थ्य की देखभाल, अपने व बच्चों की बेहतरी के लिए सोचने की आजादी, आवजाही की स्वतंत्रता आदि पर भी इसलिए रोक लगाई जाती है, क्योंकि वह एक महिला या लड़की है।

भेदभाव पूर्ण यह व्यवस्था भारत के अलावा और भी कई विकासशील देशों में लागू है। इसलिए दुनिया के करीब 127 देशों ने एक सम्मेलन कर लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के समझौते पर दस्तखत किए। इसको सरल ढंग से यह कह सकते हैं कि अंतराष्ट्रीय रुप से महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए किए गए समझौते को सीडॉ के रुप में जाना जाता है।

क्या है सीडॉ

18 दिसम्बर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु समझौते को स्वीकार किया। भारत भी इन देशों में से एक था। 3 सितम्बर 1981 को जैसे ही 20 देशों ने इसके प्रति समर्थन व्यक्त किया इसने अंतराष्ट्रीय समझौते की तरह जोर शोर से काम करना शुरु कर दिया। सीडॉ माने महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समझौता। यह समझौता निम्न बिंदुओं पर लागू होता है –

- केवल लिंग को आधार मानकर पुरूष और महिला में अंतर करते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या नागरिक क्षेत्र में महिलाओं के किसी भी अधिकार पर रोक या उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी न लगाना।
- महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाने के अलावा उन पर अमल सुनिश्चित करने के लिए आयोग, न्यायाधिकरण और सार्वजनिक संस्थाओं का गठन।
- ऐसे किसी नियम को स्थगित करना जो महिलाओं के साथ भेदभाव को बढ़ावा देता हो।
- महिलाओं को पुरूषों के बराबर प्रगति के अवसर दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान लागू करना।
- महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के व्यवहार को बदलने का प्रयास करना।

- महिलाओं की खरीद फरोख्त या उनकी वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान लागू करना।
- महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनीतिक व अन्य लोकतंत्रिक संस्थाओं, जैसे संसद, विधानसभा, नगरीय व पंचायती संस्थाओं में एक समान प्रतिनिधित्व देना।
- विवाह के बाद भी महिला की राष्ट्रीयता और पहचान को कायम रखने के अधिकार का कड़ाई से पालन करना। इसी तरह बच्चों की राष्ट्रीयता के मामले में भी महिला चाहे तो अपनी इच्छा से फैसले ले सकती है।
- शिक्षा के मामले में लड़के और लड़की के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैरियर के मामले में भी महिलाओं को अपना फैसला खुद लेने का हक है। इसी तरह तकनीकी, व्यावसायिक या व्यवहारिक शिक्षा के मामले में भी विकल्प के चुनाव का अधिकार महिला के ही पास है। इसमें किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं होना चाहिए।
- रोजगार का अधिकार सभी को है, चाहे वे महिला हों या पुरूष। नौकरी पर रखने के लिए आवेदन प्रक्रिया, उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव आदि में महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नौकरी के दौरान प्राप्त प्राप्त सुविधाओं सेवा शर्ते तनख्वाह और वेतनवृद्धि के मामले में भी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता । नौकरी के दौरान महिलाओं को प्रसूति अवकाश व उपयुक्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं और खान–पान, पोषण के मामले में भी महिलाओं के साथ पुरूषों के मुकाबले कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गर्भावस्था और प्रसूति के समय महिलाओं को समुचित चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।
- आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। मसलन पारिवारिक संपत्ति में अधिकार, परिवार में बराबरी का दर्जा, बैंक लोन, संपत्ति के बदले ऋण सुविधाएं, मनोरंजन, खेल व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में पुरूषों की तरह समान रूप से भाग लेने का अधिकार आदि।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने जीवन स्तर में सुधार का बराबर मौका देने और उन्हें विकास योजनाओं में पुरूषों के समान सहभागी करने का अधिकार होगा।

(सीडॉ के बारें में ज्यादा जानकारी के लिए संगिनी से सम्पर्क कर सकते हैं ।)

महिलाओं को अपने परिवार का आकार सीमित रखने, परिवार नियोजन सुविधाओं का लाभ लेने और सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार है।

- वैवाहिक संबंध को अपनाने में महिलाओं को अपने विवेक के मुताबिक फैसले का पूरा हक है। वे अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार भी रखती हैं। विवाह के बाद बच्चों की संख्या और उन्हें जन्म देने के समय का चुनाव, बच्चों की शिक्षा व विकास और उनके भविष्य का निर्धारण करने में भी महिला को पुरूष के समान फैसला करने का हक है।
- महिलाओं के ये सभी अधिकार उसके मूलभूत अधिकारों में शामिल किए गए हैं और इनका संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी होगी।
- महिलाओं के साथ लिंग आधारित किसी भी भेदभाव या हिंसा के खिलाफ कानूनी संरक्षण का अधिकार भी दिया गया है।
- महिलाएं अपने इन अधिकारों की मांग किसी भी समय अदालत या कर्त्तव्य पालन एजेंसियों के माध्यम से बेहिचक कर सकती हैं, और इसके लिए उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता व परामर्श प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

हमारे बारे में....

संगिनी महिलाओं का एक संदर्भ समूह है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ लैंगिकता के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना है। संगिनी महिला मुद्दों पर कार्य करने के लिये कटिबद्ध है, ख़ास तौर पर एक ऐसे समाज की स्थापना के लिये, जहां समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था हो। इसके लिये हम इस संदर्भ केंन्द्र के द्वारा महिला मुद्दों पर शोध अध्ययन, दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण, प्रकाशन आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दों को केन्द्र में लाते हुए, ऐसे सवाल उठाए जाएं, जिनका जवाब हमारे ही इर्द गिर्द फैला हुआ है। आगामी समय में संगिनी महिला मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं, संगठनों, व स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे लोगों के लिये एक संदर्भ केंद्र बन सके साथ ही महिलाओं के लिए बने कानून का प्रभावी तरके से क्रियान्वयन हो सके यही हमारा प्रयास है।

संगिनी के कार्यों और उद्देश्यों में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि संगिनी महिला हिंसा को जड़ से समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है। भविष्य की रणनीति में भी संगिनी निरंतर अपने लक्ष्यपूर्ति की लिये कार्य योजना में संलग्न है। जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थानीय समूहों व स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को जेंडर व महिला हिंसा के संदर्भ में काम करने के लिए तैयार करना है। इसके लिए इन कार्यकर्ताओं को महिला मुद्दों के विभिन्न पक्षों पर काम करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने समूह में साथियों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में महिला हिंसा के खिलाफ माहौल बना सकें तथा समुदाय के महिलाओं के प्रति नज़रिये में परिवर्तन ला सकें।

साथ ही संगिनी शोध व दस्तावेजीकरण के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों का विश्लेषण कर समाज के सामने प्रस्तुत करती है तथा उनके बेहतर विकल्पों को आगे लाने के लिये प्रयासरत है। इसके अलावा संगिनी सूचना व जानकारी के माध्यम से संदर्भ केन्द्र के रूप में अपनी भूमिका के तहत नियमित रूप से महिला मुद्दों पर प्रकाशन सामग्री का निर्माण व प्रसार कर रही है।

संगिनी स्वैच्छिक संस्थाओं तथा समूहों के साथ गठजोड़ के माध्यम से विभिन्न अभियानों के तहत महिला मुद्दों को विकास के केन्द्र में लाने का प्रयास कर रही है।

संगिनी

Towards Gender Equity

जेण्डर रिर्सोस सेन्टर

ई 6/127 अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462 016

फोन - 0755-5276158, ई मेल – sanginicenter@rediffmail.com

वित्तीय सहयोग : एक्शन एड , भोपाल